निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 50 /अपील/20

पूरीलाल पुत्र छीतर गुर्जर नि0 बरेड़ी तहसील असनावर (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक झालावाड़ (रेस्पो0)

अपील बनाराजगी आदेश सहायक वन सरंक्षक,झालावाड़ मिसन न0 45/असनावर/17 दिनांक 31.10.2017

उपस्थितः– इन्द्रसिंह गुर्जर अभिभाषक अपीलान्ट

–: निर्णय :– दिनांकः 22.10.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक,झालावाड़ के आदेश दिनांक 31.10.2017 जो मिसल न0 45/असनावर/17 पर दिया गया जिसमें अपीलान्ट को वनखण्ड मानकुण्ड की ग्राम बरेडी के खसरा न0 147 रकबा 2.5 बीघा का अतिक्रमी मानकर 250/–रू शास्ती व 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खिलाफ कानून एंव पत्रावली संग्रह सार के विरूद्व होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट पर नोटिस की तामील विधिवत रूप से नही करवाई गई व अपना पक्ष प्रस्तुत करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही देकर सजायाब किया है, अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही है पूर्व में ही कब्जा छोड़ चुका है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निणय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। सहायक वन सरंक्षक की और से पेरोकार उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने पेनल्टी की राशि जमा करवादी है व आराजी पर से कब्जा भी छोड दिया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अंकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इसी वनखण्ड मानकुण्ड की आराजी पर अतिकमण किया गया था जिसकी पुष्ठी रेकार्ड से करली गई है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा पुनः वनखण्ड की भूमि जिसको राजस्थान सरकार के राजपत्र क्रमांक एफ 7(103) रा.क.61 दिनांक 10.05.1961 को अन्तिम घोषणा पत्र में प्रकाशित व आरक्षित वन घोषित किया जा चुका है पर अतिकमण किया जाना साबित है । अपीलान्ट द्वारा वनखण्ड क्षेत्र की जिस आराजी पर अतिकमण किया गया है उस पर से अतिकमण नही हटाया गया है । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा आरक्षित वनखण्ड क्षेत्र की भूमि पर अतिकमण किया जाना साबित है व अपीलान्ट के इस कृत्य को संरक्षण दिया जाना हमारी राय में उपयुक्त नही है। उपरोक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा मिसल न0 45/17 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2017 में हम किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं, अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से किसी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

इस निर्णय के माध्यम से उप वन संरक्षक,झालावाड़ को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने अधीनस्थ को पाबन्द करें की भविष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अतिक्रमी के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की स्थिति में उनके द्वारा पारित निर्णय में पूर्व की पत्रावली का मिसल नम्बर व निर्णय दिनांक का अंकन करें साथ ही पूर्व में पारित निर्णय की प्रति भी पत्रावली में संलग्न करें जिससे की अतिक्रमी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो सके। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे तथा निर्णय की प्रति उप वन सरंक्षक को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड